

राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल

सी-7-ए, सुल्तान हाउस, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर-302016
फोन नम्बर 0141-4004914 Website:- <https://rsahcouncil.org/>

क्रमांक:- प. 18 () / काउं.(सत्र 2024-25) / राराअहैको / 2025 / 20

दिनांक:- 10/1/25

--:सार्वजनिक सूचना--:


विषय : प्रवेश सत्र 2024-25 में विभिन्न पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर से मान्यता प्राप्त राजकीय व निजी महाविद्यालय/संस्थानों में रिक्त रही सीटों पर प्रवेश के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सर्व साधारण व समस्त प्रधानाचार्य संबद्ध पैरामेडिकल महाविद्यालय/संस्थानों को सूचित किया जाता है कि राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा प्रशिक्षण सत्र 2024-25 में विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में पैरामेडिकल कौंसिल से मान्यता प्राप्त राजकीय व निजी महाविद्यालयों/संस्थानों में चार चरणों की काउन्सलिंग के माध्यम से नियमानुसार पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी आवंटन किये गये थे, जिसके पश्चात् भी कौंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त कुछ महाविद्यालय/संस्थानों में विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु सीटें रिक्त रह गई हैं, जिसकी सूची विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।

महाविद्यालय/संस्थानों में रिक्त रही सीटों के लिए महाविद्यालय/संस्थान अपने स्तर पर अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त कर सभी महाविद्यालय/संस्थान योग्य अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल के काउन्सलिंग पोर्टल पर संस्थान की ID के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें। प्रवेश प्रक्रिया का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
1	महाविद्यालय/संस्थान द्वारा अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त कर योग्य अभ्यर्थियों की सूची मय दस्तावेज कौंसिल को प्रस्तुत करने की तिथि। (मय आवेदन शुल्क/अग्रिम प्रशिक्षण शुल्क)	13.01.2025 से 31.01.2025 तक
2	अभ्यर्थियों के प्रोविजनल आवंटन पत्र डाउनलोड/जारी करने की तिथि।	03.02.2025
3	पोर्टल पर अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग/जोईनिंग दर्शाने की तिथि।	03.02.2025 से 10.02.2025 तक

संलग्न:- प्रवेश हेतु दिशा-निर्देश।


(उत्तम सिंह शेखावत)
R.A.S.


सचिव

क्रमांक:- प. 18 () / काउं.(सत्र 2024-25) / राराअहैको / 2025 / 20

दिनांक:- 10/1/25

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. Data Processing Agency, Ajmer को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य, समस्त सम्बद्ध पैरामेडिकल राजकीय/निजी महाविद्यालय/संस्थान व समस्त अभ्यर्थियों को सूचनार्थ।
6. परीक्षा अनुभाग/लेखाशाखा/मान्यता शाखा/पंजीयन/विधि/स्टोर कार्यालय हाजा।
7. सर्वररूम प्रभारी, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर को भेजकर लेख है कि आज ही वेबसाईट पर अपलोड करें।
8. रक्षित पत्रावली।


सचिव